न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सॉंगोद जिला कोटा।
बइजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 114/2022 दावा/बउनवान/हरिमोहन वगैरा/देवेन्द्र कुमार वगैरा

हरिमोहन आयु 65 साल पुत्र श्री मदनगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सांगोद, तहसील सांगोद जिला कोटा। —वादी—

—बनाम—

1. देवेन्द्र कुमार आयु 63 साल पुत्र श्री मदनगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी सांगोद तहसील सांगोद,
2. समर्थ दाधीच पुत्र श्री लवनीश दाधीच नाबालिग की वली माता श्रीमती प्रीती दाधीच पत्नी श्री लवनीश दाधीच जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा,
3. श्रीमती प्रीती दाधीच पुत्र श्री लवनीश दाधीच जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद,
4. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉंगोद तहसील सॉंगोद जिला कोटा।

—प्रतिवादीगण—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::— दिनॉक :— 12.11.2022

वादी ने इस न्यायालय में एक वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादी क्रं. 1, 2, 3 के संयुक्त खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 129 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 130 रकबा 2.86 हैक्टर, खसरा नंबर 38 रकबा 1.15 हैक्टर कुल किता 3 की कुल 4.02 हैक्टर व खसरा नंबर 128 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नंबर 194 रकबा 1.39 हैक्टर, खसरा नंबर 848 रकबा 1.18 हैक्टर कुल किता 3 की कुल 2.89 हैक्टर आराजी वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में, खसरा नंबर 586 रकबा 3.11 हैक्टर का 1/3 हिस्सा एवं खसरा नंबर 583 रकबा 3.00 हैक्टर, खसरा नंबर 586/758 रकबा 0.11 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 3.11 हैक्टर आराजी वाके ग्राम डोबडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है जिसमें 1/3 हिस्सा वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी क्रं. 1 का एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी क्रं. 2, 3 का दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी क्रं. 1, 2, 3 के नाम संयुक्त रूप से खाते में दर्ज होने से फसल का बंटवारा करने में परेशानी होती है तथा संयुक्त खाता होने से वादी को अपनी हिस्सा आराजी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:50:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सॉंगोद, जिला- कोटा

विकास कार्य करवाने में परेशानी होती है। प्रतिवादी कं. 2, 3 को आराजी वादी के सगे भाई स्व. आनन्दप्रकाश से जर्ये दानपत्र प्राप्त हुई है। वादी व प्रतिवादी कं. 1 व स्व.आनन्दप्रकाश जी के द्वारा मौके पर काफी वर्षों पूर्व ही आपसी सहमति से मौके पर पारिवारिक विभाजन कर लिया था जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादी कं. 1, 2, 3 मौके पर निम्न प्रकार से पृथक–पृथक काश्त करते चले आ रहे हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

अ. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी हरिमोहन :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
लक्ष्मीपुरा	38	0.88 हैक्टर उत्तरी
	194	1.39 हैक्टर
	848	1.18 हैक्टर
कुल किता 3 की		कुल 3.45 हैक्टर

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी कं. 1 देवेन्द्र कुमार :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
लक्ष्मीपुरा	38	0.27 हैक्टर दक्षिणी
	128	0.32 हैक्टर
	130	2.86 हैक्टर
कुल किता 3 की		कुल 3.45 हैक्टर

स. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी कं. 2, 3 समर्थ दाधीच, प्रीती दाधीच :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
डोबडा	583	3.00 हैक्टर
	586/758	0.11 हैक्टर
कुल किता 3 की		कुल 3.11 हैक्टर

द. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी व प्रति.कं. 1 हरिमोहन व देवेन्द्र कुमार :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
लक्ष्मीपुरा	129	0.01 हैक्टर गै.मु.बोरिंग

वादी द्वारा वादपत्र में यह भी वर्णित किया है कि वादपत्र की चरण संख्या 3 के खण्ड अ, ब, स, द के अनुसार पक्षकारान मौके पर पृथक–पृथक काश्त करते चले आ रहे हैं किन्तु राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान के खाते व खसरे पृथक–पृथक नहीं होने के कारण वादीगण को अपने–अपने हिस्से व कब्जेकाश्त की आराजी में विकास कार्य करवाने व सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पडता है। उक्त संबंध में वादी द्वारा प्रतिवादी कं. 1 से विभाजन करवाने को कहा तो उनके द्वारा विभाजन करवाने में असहमति व्यक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:30:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
साँगोद, जिला- कोटा

कर दी। ऐसी परिस्थितियों में वादीके लिये खाता व लगान विभाजन करवाने हेतु माननीय न्यायालय में यह वादपत्र वावत विभाजन प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादकारण प्रतिवादी कं. 1 द्वारा विना विभाजन में सहयोग करने से इन्कार करने पर उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी माल ग्राम लक्ष्मीपुरा, ग्राम डोवडा तहसील साँगोद में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त वादपत्र का श्रवण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः वादग्रस्त आराजी का वादपत्र की चरण संख्या 3 के खण्ड अ, ब, स, द के अनुसार पक्षकारान के मध्य खाता व लगान पृथक–पृथक अंकित किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी की ओर से उपरोक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वाद तलवी प्रतिवादी कं. 1, 2, 3 ने इकवाली जवाबदावा प्रस्तुत कर दावा स्वीकार कर डिकी करने का निवेदन किया तथा उभय पक्षकारों ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा वाद डिकी करने का निवेदन किया। राजीनामा पक्षकारान तस्दीक किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेजात व राजीनामा के आधार पर दावा वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार करना उचित समझता हूँ।

अतः दावा वादी स्वीकार कर वादी व प्रतिवादी कं. 1, 2, 3 का निम्न प्रकार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

अ. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी हरिमोहन :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
लक्ष्मीपुरा	38	0.88 हैक्टर उत्तरी
	194	1.39 हैक्टर
	848	1.18 हैक्टर
	कुल किता 3 की	कुल 3.45 हैक्टर

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी कं. 1 देवेन्द्र कुमार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सांगोद :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
लक्ष्मीपुरा	38	0.27 हैक्टर दक्षिणी
	128	0.32 हैक्टर
	130	2.86 हैक्टर
	कुल किता 3 की	कुल 3.45 हैक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:56:55 IST
Reason: SelfAttested

स. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रति. कं. 2 श्रीमती ... प्रीती दाधीच :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
डोबडा	583	3.00 हैक्टर
	586/758	0.11 हैक्टर
	कुल किता 3 की	कुल 3.11 हैक्टर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
साँगोद, जिला- कोटा

व. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी हरिमोहन व प्रति.कं. 1 देवेन्द्र कुमार :—

ग्राम	ख.नं.	रकबा
लक्ष्मीपुरा	120	0.01 हैक्टर गै.मु.बोरिंग

उक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 12.11.2022 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद, जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:50:55 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा
बइजलास – अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 114/2022 दावा/बउनवान/हरिमोहन वगैरा/देवेन्द्र कुमार वगैरा

हरिमोहन आयु 65 साल पुत्र श्री मदनगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सांगोद, तहसील सांगोद जिला कोटा। —वादी—

—बनाम—

1. देवेन्द्र कुमार आयु 63 साल पुत्र श्री मदनगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी सांगोद तहसील सांगोद,
2. समर्थ दाधीच पुत्र श्री लवनीश दाधीच नाबालिग की वली माता श्रीमती प्रीती दाधीच पत्नी श्री लवनीश दाधीच जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा,
3. श्रीमती प्रीती दाधीच पुत्र श्री लवनीश दाधीच जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद,
4. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद तहसील सॉगोद जिला कोटा।

—प्रतिवादीगण—

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188, 209 आर0 टी0 एक्ट, मि.नं. /2022

तारीख फैसला दिनांक 12.11.2022 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू ....वहाजरी वादीगण मिनजानिव मुदई रूवरू पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ... दावा वादी स्वीकार कर वादी व प्रतिवादी कं. 1, 2, 3 का निम्न प्रकार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :—

अ. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी हरिमोहन :—

ग्राम	ख.नं.	रकबा
लक्ष्मीपुरा	38	0.88 हैक्टर उत्तरी
	194	1.39 हैक्टर
	848	1.18 हैक्टर
कुल किता 3 की		कुल 3.45 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:50:55 IST
Reason: Self Attested

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी कं. 1 देवेन्द्र कु[illegible] रा[illegible] बैंक ऑफ बडौदा शाखा सांगोद :—

ग्राम	ख.नं.	रकबा
लक्ष्मीपुरा	38	0.27 हैक्टर
	128	0.32 हैक्टर
	130	2.86 हैक्टर
कुल किता 3 की		कुल 3.45 हैक्टर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सॉगोद, जिला– कोटा

स. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रति. कं. 2 समर्थ दाधीच व प्रति.कं. 3 प्रीती दाधीच :—

ग्राम	ख.नं.	रकबा
डोबड़ा	553	3.00 हैक्टर
	585/753	0.11 हैक्टर
कुल किता 3 को		कुल 3.11 हैक्टर

द. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी हरिमोहन व प्रति.कं. 1 देवेन्द्र कुमार :—

ग्राम	ख.नं.	रकबा
लक्ष्मीपुरा	129	0.01 हैक्टर गै.मु.बोरिंग

उक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

लिया ———— मुकाबले ———— बाबत ———— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ———— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ———— का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख [illegible] को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद, जिला- कोटा

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद, जिला- कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:50:55 IST
Reason: SelfAttested